File no. 71-2002(001)/2/2021

49/2021/1/65629/2021

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल,
सी0जी0 सिटी लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 13 मई, 2021**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल परिसर में निर्मित ओ0टी0 काम्पलेक्स के भूतल पर 100 शैयया का कोविड वार्ड स्थापित करने हेतु आक्सीजन गैस लाइन एवं विद्युतीकरण कार्य की प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-डी0आई0आर0सी0आई0/38/160/2021, दिनांक 20.04.2021 का कृपया सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान परिसर में निर्मित ओ0टी0 काम्पलेक्स के भूतल पर 100 शैयया का कोविड वार्ड स्थापित करने हेतु आक्सीजन गैस लाइन एवं विद्युतीकरण कार्य की प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 20.04.2021 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल परिसर में निर्मित ओ0टी0 काम्पलेक्स के भूतल पर 100 शैयया का कोविड वार्ड स्थापित करने हेतु आक्सीजन गैस लाइन एवं विद्युतीकरण कार्य की प्रायोजना हेतु मूल्यांकित लागत रू0 91.32 लाख (रूपये इक्यानवे लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान के 24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 45.66 लाख (अनुदान संख्या-031 से रू0 37.80 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 07.86 लाख) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1) **संस्थान के निदेशक/वित्त अधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2) संस्थान के निदेशक/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक संस्थान की होगी।

3) संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है तथा प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है एवं इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा ।

6) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा। बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

7) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

8) कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष, कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।

9) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी संस्थान के निदेशक एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

10) निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

11) लागत में परिवर्तन के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

12) प्रायोजना अंतर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्य, लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई-टेण्डर/ ई-टेण्डर/ ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेन्ट, ई-मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/ निदेशक, संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14) प्रायोजना में सम्मिलित, जो कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निदेशक, संस्थान द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।

15) प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही कार्य कराया जाय।

3- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, कैंसर संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा।

4- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि में से धनराशि रू0 37.80 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-59-कैंसर संस्थान, लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा रू0 07.86 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-24-कैंसर संस्थान, लखनऊ-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-112/दस-2021, दिनांक 07.05.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-उपरोक्त-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं अस्पताल, लखनऊ।
5- वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0, राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

भवदीय

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Filename:	cancer hospital covid ward financial sanction 2021-22 original
Directory:	C:\Users\me-2\Documents
Template:	C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:	
Subject:	
Author:	ajai
Keywords:	
Comments:	
Creation Date:	5/13/2021 4:48:00 PM
Change Number:	64
Last Saved On:	5/20/2021 12:54:00 PM
Last Saved By:	me-2
Total Editing Time:	148 Minutes
Last Printed On:	5/20/2021 12:54:00 PM

As of Last Complete Printing

Number of Pages:	3
Number of Words:	988 (approx.)
Number of Characters:	5,635 (approx.)